भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 683

(जिसका उत्तर मंगलवार, 8 फरवरी, 2022/19 माघ, 1943 (शक) को दिया जाना है)

विदेशी खातों के उपयोग से कर अपवंचन को रोकने के लिए कानून बनाया जाना

683. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की योजना बना रही है, जिनके नाम विदेशा खातों के माध्यम से कर अपवंचन के संबंध में हाल ही में उजागर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विदेशी खातों के उपयोग से कर अपवंचन की बढती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कानून बनाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) तथा (ख): हाल ही में मीडिया में कुछ भारतीय नामों का खुलासा हुआ है जिनका कथित रूप से पैंडोरा पेपर्स लीक के साथ संबंध है। संबंधित एवं त्वरित जांच के प्रयोजनार्थ, सीबीडीटी के अध्यक्ष के संयोजन में मल्टी एजेंसी ग्रुप (एमएजी) का गठन किया गया है जिन में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू-आईएनडी) एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का विदेशी कर एवं कर अनुसंधान प्रभाग इसकी सदस्य एजेंसियों के रूप में शामिल है।

आयकर विभाग उन व्यक्तियों के मामले में समुचित कार्यवाही करता है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 तथा काला धन (अप्रकटित विदेशी आय तथा आस्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 आदि जैसे आयकर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में संलिप्त पाया जाता है। प्रत्यक्ष कर कानून के अंतर्गत ऐसी कार्यवाहियों में तलाशी एवं जब्ती, सर्वेक्षण, पूछताछ, आय का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण, ब्याज सहित करों का उद्ग्रहण, शास्तियों का उदग्रहण, आपराधिक न्यायालयों आदि में अभियोजन शिकायतें, जहाँ कहीं लागू हों, दायर करना, आदि शामिल हैं।

(ग) तथा (घ): संसद ने पहले से ही 1 जुलाई, 2015 से प्रयोज्य कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय तथा आस्तियाँ) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का अधिनियमन किया है। ये व्यापक तौर पर अप्रकटित विदेशी आय एवं आस्तियों वाले काला धन से संबंधित सभी मामलों, ऐसी आय एवं आस्तियों से निपटने के लिए प्रक्रिया तथा किसी अप्रकटित विदेशी आय एवं भारत से बाहर धारित आस्ति पर कर के अधिरोपण की व्यवस्था करने से संबंधित सभी मामलों पर कार्रवाई करता है।

******